

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का कार्यालय, धालभूम जमशेदपुर।

दिनांक	आदेश	की गई कार्रवाई
6-2-2020	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी मानगों के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या 10/2019-20 प्राप्त हुआ है, जो मूल रूप से अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी मानगों के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या - 10/2019-20 में उल्लेख किया गया है कि- मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगों, वार्ड नं-10 खाता नं-294, प्लॉट नं- 3195, रकवा-0.06.40 हे० भूमि हाल सर्वे खतियान के अनुसार बेनु गौड़ वो लुथी गौड़ पिता बैकुण्ठ गौड़ अंश समान तथा कन्हाई गौड़ वो कालिया गौड़ वो पिता प्रसाद गौड़ एक अंश समान तथा कैलाश गौड़, मानु गौड़, सुरेन्द्र गौड़ वो सहदेव गौड़ पिता राधु गौड़ अंश समान तथा मंगरू गौड़ पिता देवा गौड़ एक अंश वो शत्रुघन गौड़, काटिया गौड़, दुशासन गौड़, पिता बुधु गौड़ एक अंश समान के नाम से दर्ज है। खतियान के कैफियत कॉलम 8 में काविल लगान दर्ज है। प्रस्तुत Title Appeal No. 27/08 माननीय अवर न्यायाधीश जमशेदपुर दर्ज है। भरत गौड़, शत्रुघन गौड़ एवं अन्य वनाम सुरेखा गौड़ में माननीय न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष में आदेश पारित किया गया है जो संलग्न है। वर्तमान में आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। अंचल अमीन के द्वारा तैयार ट्रेश नक्शा एवं रेन्ट रोल तीन प्रति संलग्न है। संबंधित रास्ता उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक ने मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगों, वार्ड नं-10 खाता नं-294, प्लॉट नं- 3195, रकवा-0.06.40 हे० भूमि का वार्षिक लगान वर्ष 1981 से 3/- रूपया प्रति कट्टा एवं 1998 से 10/- रूपया प्रति डिसमील अलावे सेस की दर से वसूली हेतु खतियानी रैयत बेनु गौड़ वो लुथी गौड़ पिता बैकुण्ठ गौड़ अंश समान तथा कन्हाई गौड़ वो कालिया गौड़ वो पिता प्रसाद गौड़ एक अंश समान तथा कैलाश गौड़, मानु गौड़, सुरेन्द्र गौड़ वो सहदेव गौड़ पिता राधु गौड़ अंश समान तथा मंगरू गौड़ पिता देवा गौड़ एक अंश वो शत्रुघन गौड़, काटिया गौड़, दुशासन गौड़, पिता बुधु गौड़ एक अंश समान के नाम पर लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा किया गया है।</p> <p>अतः अभिलेख में वर्णित तथ्यों, संलग्न कागजात, रेन्ट रोल, ट्रेश नक्शा अंचल अधिकारी मानगों के द्वारा लगान निर्धारण हेतु की गई अनुशंसा के आलोक में मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगों, वार्ड नं-10 खाता नं-294, प्लॉट नं- 3195, रकवा-0.06.40 हे० भूमि का वार्षिक लगान वर्ष 1981 से 3/- रूपया प्रति कट्टा एवं 1998 से 10/- रूपया प्रति डिसमील अलावे सेस की दर से वसूली हेतु खतियानी रैयत बेनु गौड़ वो लुथी गौड़ पिता बैकुण्ठ गौड़ अंश समान तथा कन्हाई गौड़ वो कालिया गौड़ वो पिता प्रसाद गौड़ एक अंश समान तथा कैलाश गौड़, मानु गौड़, सुरेन्द्र गौड़ वो सहदेव गौड़ पिता राधु गौड़ अंश समान तथा मंगरू गौड़ पिता देवा गौड़ एक अंश वो शत्रुघन गौड़, काटिया गौड़, दुशासन गौड़, पिता बुधु गौड़ एक अंश समान के नाम पर लगान निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>तदनुसार अभिलेख मूल में अप्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, मानगों को भेजे।</p>	

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धालभूम, जमशेदपुर।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धालभूम, जमशेदपुर।

21-2-2020  
किराये के लिए

आपाक 159 दिनांक 07-02-2020  
प्रतिलिपि श्री लक्ष्मी कान्त सिंह, (एफएन डी) मि। धार  
मानगों अंचल का सूचनाएं एत अनुपालन  
हेतु प्रेषित।